# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

## जमाबंदी रद्द वाद संख्या–147/2017–18

## राज किशोर कुमार बनाम राज्य एवं अन्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 17/7/18 | **आदेश**<br>इस वाद की कार्यवाही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1235 दिनांक 17.03.2018 से प्राप्त श्री राज किशोर कुमार, ग्राम–शेखपुरा, पो0–ढेलवां, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना के परिवाद पत्र सं0 428110124021801693 के आलोक में आरम्भ की गयी।<br>इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात याचिकाकर्ता को नोटिस दी गयी। याचिकाकर्ता दिनांक 15.05.2018 एवं 26.05.18 को उपस्थित हुए। परन्तु उनके द्वारा कोई कागज का दस्तावेज उपलब्ध नहीं किराया गया। दिनांक 26.05.18 के पश्चात याचिकाकर्ता के द्वारा इस वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता सुनवाई की निर्धारित तिथि 12.06.18, 03.07.18 एवं 10.07.18 को उपस्थित नहीं हुए।<br>याचिकाकर्ता आज भी अनुपस्थित हैं। स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है।<br>जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना से प्राप्त याचिकाकर्ता के आवेदन से स्पष्ट होता है कि राम बचन, पिता स्व0 महगुँ प्रसाद, ग्राम–काब निसरपुरा, थाना–बिक्रम, जिला–पटना के द्वारा अंचल सम्पतचक मौजा पिपरा, थाना नं0 105 खाता नं0 04 खेसरा सं0 71 एवं 127 रकवा 26डी0 एवं 12डी0 का दाखिल खारिज करा कर अपनी जमाबंदी कायम करायी गयी है। याचिकाकर्ता द्वारा राम बचन की उक्त जमाबंदी को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।<br>आवेदक का यह आवेदन दाखिल खारिज के आदेश के विरूद्ध है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में नहीं की जा सकती। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत आवेदक उक्त दाखिल खारिज के आदेश के विरूद्ध संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।<br>आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>**लेखापित एवं संशोधित।**<br>17/7/18<br>(वज़ैन उद्दीन अंसारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना<br>17/7/18<br>(वज़ैन उद्दीन अंसारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना | |